87

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर

निग - 2959 - I-1

धीरजसिंह यादव तनय श्री कल्याणसिंह यादव
ग्राम मोहडिया तहसील पवई जिला पन्ना ....निगरानीकर्ता

विरूद्व

म.प्र.शासन ....अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय अपर कलेक्टर जिला पन्ना द्वारा प्रकरण क्रमांक 29/अपील/अ–67/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 30/05/15 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि खनिज निरीक्षक द्वारा खनिज अधिकारी के माध्यम अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पवई जिला पन्ना को इस आशय का प्रतिवेदन प्रेषित किया गया कि दिनांक 2/10/11 को ग्राम मोहडिया के आकस्मिक भ्रमण के दौरान आवेदक द्वारा खसरा क्र 139 रकवा 0.09 हे भूमि पर 83 घनमीटर फर्सी पत्थर का अवैध उत्खनन किया गया है जिसका बाजारू मूल्य 124500/ रू है जिस कारण से उसका दोगुना अर्थदण्ड उस पर अधिरोपित किये जाने हेतु प्रतिवेदित किया गया जिसके आधार पर अनुविभागीय अधिकारी पवई द्वारा संहिता की धारा 247(7) के अंतर्गत आवेदक के विरूद्व प्रकरण पंजीबद्व कर विधि विपरीत आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्व आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर पन्ना के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जिसे अपर कलेक्टर पन्ना द्वारा निरस्त कर दिया गया है जिससे परिवेदित होकर आवेदक की यह निगरानी सशक्त आधारों पर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है।

नितेन्द्र सिंघई
एड०
94251-71223

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश –ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-2957/I/16 जिला ....पन्ना...........

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8-9-16	1– आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री नितेन्द्र सिंघई उपस्थित तथा अनावेदक शासन पक्ष से पैनल अधिवक्ता उपस्थित। उभय पक्ष के तर्क सुने। यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला पन्ना म0प्र0 के प्र.क्र. 29/अपील/अ–67/वर्ष 12–13 में पारित आदेश दिनांक 30/5/15 के विरूद्व प्रस्तुत की गयी है। निगरानी के साथ विलंब माफ किए जाने के लिए धारा 5 म्याद अधिनियम का आवेदन पत्र शपथ पत्र सहित प्रस्तुत किया है। 2– आवेदक के विलंब माफ किए जाने के तर्को पर विचार कर प्रस्तुत न्याय दृष्टांत एम.पी.एल.जे. 2015 भाग 4 सुप्रीम कोर्ट कार्यपालन अधिकारी अंतीपुर नगर पंचायत विरूद्व जी आरूमुगम न्याय दृष्टांत के परिपेक्ष्य में निगरानी में हुए विलम्ब को माफ किया जाता है। 3– प्रकरण के सारांश में तथ्य इस प्रकार है कि खनिज निरीक्षक द्वारा खनिज अधिकारी के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी पवई जिला पन्ना को प्रतिवेदन इस आधार का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम मोहडिया तह. पवई के आकस्मिक भ्रमण के दौरान आवेदक द्वारा भूमि खसरा क्र 139 रकवा 0.09 हे पर 83 घनमीटर फर्सी पत्थर का अवैध रूप से उत्खनन किया गया जिस कारण से संहिता की धारा 247(7) के तहत आवेदक पर बाजारू मूल्य 124500/ एंव उसका दोगुना अर्थदण्ड अधिरोपित किया जावे। जिसके आधार पर अुनविभागीय अधिकारी पवई द्वारा प्रकरण पंजीबद्व कर आवेदक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया जिसका आवेदक द्वारा जबाव प्रस्तुत किए जाने के उपरांत उसके विरूद्व आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्व आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर पन्ना के समक्ष अपील प्रस्तुत की गयी जिसे अपर कलेक्टर पन्ना द्वारा निरस्त कर दिया गया है जिससे दुखित	

-2-

R 2957.I/16 (पन्ना)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। 4– आवेदक के द्वारा तर्क दिया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी पवई द्वारा आवेदक को सुनवाई एंव अपना पक्ष रखने का अवसर प्रंदाय किए बिना अपना आदेश पारित किया है जिस ओर अपर कलेक्टर पन्ना द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है जिस कारण से अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्वांत के पूर्णतः विपरीत होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। 5– आवेदक की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी पवई द्वारा शासन पक्ष की साक्ष्य अंकित किए जाने हेतु प्रकरण 10–12 बार साक्ष्य हेतु नियत किया गया किंतु प्रकरण में शासन की ओर से किसी भी साक्षी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी जिस कारण से अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण में साक्ष्य समाप्त करने के उपरांत प्रकरण को साक्ष्य के अभाव में निरस्त किया जाना चाहिए था परंतु उनके द्वारा मनमाने तौर पर समस्त दस्तावेजों को स्वयमेव प्रमाणित मान्य कर विधि विपरीत आदेश पारित किया गया है। उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक द्वारा कोई अवैध उत्खन्न नहीं किया गया है खनिज अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन खनिज निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर किया है जबकि खनिज निरीक्षक द्वारा किस आधार पर तैयार किया गया है इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया। अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त तथ्यों को पूर्णतः अनदेखा करते हुए मनमाने तरीके से आदेश पारित किया है जिसकी पुष्टि करने में अपर कलेक्टर पन्ना द्वारा त्रुटि की गयी है। 6– आवेदक द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि संहिता की धारा 247(7) के प्रावधान अनुसार जो तत्व अर्थदण्ड अधिरोपित करने के संबंध में दिए गए है उनमें से इस प्रकरण में एक भी तत्व विद्यमान नहीं है। अनुविभागीय अधिकारी पवई ने अपने आदेश खनिज अधिकारी/खनिज निरीक्षक के प्रतिवेदन के आधार पर आदेश किया गया है परंतु उक्त प्रेतिवेदन	

 R 2957-5/16 (पन्ना)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	उक्त अधिकारियों द्वारा किस आधार पर तैयार किया गया इसका कोई उल्लेख नहीं है। खनिज निरीक्षक ने किस आधार पर आवेदक द्वारा अवैध उत्खनन किया जाना बताया गया इसका कोई उल्लेख प्रतिवेदन में नहीं है। उक्त आधार पर कहा गया कि खनिज निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन आधारहीन होने के कारण प्रकरण में आवेदक के विरूद्व अरोप प्रमाणित नहीं होते है। इस संबंध में आवेदक अधिवक्ता द्वारा 1968 आर.एन. पेज 261 एंव 1976 आर.एन. पेज 419 का हवाला दिया गया है। आवेदक द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि संहिता की धारा 247(7) में यह प्रावधान है कि उत्खनन के प्रकरणों में प्रमाण का भार शासन पर है और शासन को शंका से परे प्रकरण साक्ष्य से सिद्व करना चाहिए। मौजदा प्रकरण में न तो कोई साक्ष्य अंकित की गयी और ना ही किसी के द्वारा उत्खनन करते हुए देखा गया है। यह भी कहा गया है कि संहिता की धारा 247(7) के अंतर्गत वादग्रस्त स्थान का सीमांकन आवश्यक है तथा सीमांकन अवैध उत्खननकर्ता की उपस्थिति में होना चाहिए जबकि मौजूदा प्रकरण में कोई सीमांकन नहीं हुआ है। अवैध उत्खनन के प्रकरणों में अवैध उत्खनन का दिनांक, अवैध उत्खनन में लाई गई वस्तु, औजार तथा उसकी तथ्यात्मक बाजारू मूल्य का उल्लेख किया जाना आवश्यक है जबकि इस प्रकरण में अनिवार्य प्रावधानों का कोई पालन नहीं किया गया है। उक्त महत्वपूर्ण तथ्यों को अनदेखा कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आदेश पारित किए है जो अपास्त किए जाने योग्य है। अपने तर्क के समर्थन में आवेदक अधिवक्ता द्वारा न्यायदृष्टांत 2005 आर.एन. 107, 1990 आर.एन. 162, 1976 आर.एन. 453, 1997 आर.एन. 174, 1996 आर.एन. 365, 1968 आर.एन. 261, 1988 आर.एन. 64 एंव 1981 एम.पी.डब्लू.एन. भाग दो नोट 247 का हवाला दिया गया है। 7— आवेदक द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि आवेदक द्वारा उक्त तर्कों का अपर कलेक्टर पन्ना के समक्ष उठाया गया था, किन्तु उन पर उनके द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है और अवैधानिक तरीके से अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की गयी है। उक्त आधारों पर आवेदक अधिवक्ता	

R 2957-I/16 (पन्ना)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	द्वारा यह निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया गया है।	
	8— अनावेदक शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि प्रकरण में आवेदक के द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध उत्खनन किया जाना विचारण न्यायालय द्वारा प्रमाणित पाया गया था जिस आधार पर अनुविभागीय अधिकारी पवई द्वारा आवेदक पर जो अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है वह पूर्णतः विधि सम्मत् है तथा जिसकी पुष्टि करने में अपर कलेक्टर पन्ना द्वारा कोई त्रृटि नहीं की है। प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालय के आदेश समवर्ती है। अतः उनके द्वारा निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।	
	9— उभय पक्ष के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा प्रस्तुत दस्तावेजों एंव आदेशों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में खनिज निरीक्षक द्वारा खनिज अधिकारी के माध्यम से अनुविभागीय अधिकारी पवई को प्रेतिवेदन प्रेषित किया गया कि आवेदक द्वारा शासकीय भूमि पर फर्सी पत्थर का अवैध उत्खनन किया गया है जिसके आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा संहिता की धारा 247(7) के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्व कर आवेदक के विरूद्व अर्थदण्ड अधिरोपित किए जाने का आदेश पारित किया गया है। अपर कलेक्टर पन्ना के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है विचारण न्यायालय के समक्ष प्रकरण शासन पक्ष की साक्ष्य हेतु 11 बार नियत किया गया परंतु शासन पक्ष की कोई साक्ष्य अंकित नहीं की गयी तथा इसके उपरांत आवेदक को अपनी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किए बिना अर्थदण्ड अधिरोपित किए जाने का आदेश पारित किया गया जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्वांत के विपरीत है इस संबंध में 2007 दो एस.एस.सी. 181, 2008 14 एस.एस.सी 151, तथा ए.आई.आर. 1991 एस.सी., 1981एस.सी. 136, 2010 आर.एन.101 उच्च न्या. में निर्धारित किया गया है।	
	उत्खनन के प्रकरणों में सबूत का भार शासन पर होता है कि वह सिद्व करे कि अवैध उत्खनन हुआ है और यदि अवैध उत्खनन सिद्व नहीं किया	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	गया तो आवेदक पर अर्थदण्ड की राशि अधिरोपित नहीं की जा सकती है। इस प्रकरण में इस प्रकार की कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह माना जा सके कि आवेदक द्वारा अवैध उत्खनन किया गया है। न्यायदृष्टांत 2005 आर.एन. 107 में यह सिद्वांत प्रतिपदित किया गया है कि धारा 247(7) – सबूत का भार सरकार पर – खनन निरीक्षक की सधारण रिपोर्ट – उसकी परीक्षा किए जाने और प्रतिपरीक्षण का अवसर दिए जाने के अवसर पर्याप्त नहीं – साक्ष्य पर विचार किया जाना चाहिए। इसी प्रकार न्यायदृष्टांत 1990 आर.एन. 162 मे यह व्यवस्था दी गयी है कि खदान निरीक्षक का प्रतिवेदन परिवाद है और उसका कोई साक्ष्यिक महत्व नहीं है – उसके उक्त प्रतिवेदन के आधार पर आदेश दिया जाना विधि विरूद्व है। न्यायदृष्टांत 1976 आर.एन. 453 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 247(7) अवैध उत्खनन किए जाने के संबंध में समुचित प्रमाण दिया जाना आवश्यक है और प्रमाण भार राज्य पर है। उसके द्वारा ही सिद्व किया जाना होता है कि खनिज संपदा का अनुचित दोहन अथवा अवैध उत्खनन किया गया है। इसी प्रकार न्यायदृष्टांत 1997 आर.एन. 174 में यह व्यवस्था दी गयी है कि धारा 247(7) खानों से अवैध उत्खनन का मामला – सरकार द्वारा पूर्णतः साबित किया जाना होता है। न्यायदृष्टांत 1996 आर.एन. 365 में यह व्यवस्था दी गयी है कि धारा 247(7) – खनिज अवैध रूप से निकालना – उपबंध दाडिंक प्रकृति का है युक्तियुक्त संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए – मामला साबित नहीं जुर्माना नहीं लगाया जा सकता। उक्त न्यायदृष्टातों के प्रकाश में भी अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश त्रृटिपूर्ण है। जहां तक आवेदक की ओर से उद्वरित अन्य न्यायदृष्टांतों का प्रश्न है, उनके अवलोकन से यह पाया जाता है कि उक्त न्यायदृष्टांत भी इस प्रकरण में पूर्ण रूप से प्रभावशाली होते है। अतः प्रकरण की सम्रग परिस्थितियों पर विचार के पश्चात् यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी पवई द्वारा आवेदक पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाना पूरी तरह अवैधानिक एंव अन्यायिक है अतः उनका आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता। जहां तक अपर	

R 2957. 5/16 (पन्ना)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	कलेक्टर पन्ना के आदेश का प्रश्न है उनके द्वारा भी उक्त तथ्यों को पूर्णतया अनदेखा किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी पवई के अवैधानिक आदेश की पुष्टि करने में न्यायिक त्रुटि की गयी है। इस कारण उनका आदेश भी स्थिर नहीं रखा जा सकता है। 10— उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर पन्ना जिला पन्ना का आदेश दिनांक 30/5/15 एंव अनुविभागीय अधिकारी पवई जिला पन्ना का आदेश 26/3/13 निरस्त किये जाते है परिणामतः यह निगरानी स्वीकार की जाती है। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	